

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 28.10.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल-35 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. संतराम पुत्र रामलोचन नि० नकहापुल थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 19 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-444/20, 02. रज्जू सिंह पुत्र जंग बहादुर सिंह नि० मंहगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-445/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. कमलेश राजभर पुत्र मंगल राजभर नि० कोहड़ गढ़वा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-372/20, 02. महेश कुमार सोनकर पुत्र मेवा लाल सोनकर नि० तारी परसोईया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-373/20, 03. सीता पत्नी ननके उर्फ घनश्याम नि० नायक पुरवा मौजा नरौरा भर्रापुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-376/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना कटराबाजार ने दहेज प्रताड़ना के आरोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करने के आरोपी अभियुक्त- अमित कुमार मिश्रा पुत्र रामलौह मिश्रा नि० तिलका चांदी मौजा बमडेरा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को थाना कटराबाजार में पंजीकृत मु०अ०सं०- 246/20, धारा 498ए.323.504.506.406.494 भादवि० व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने अपनी पत्नी बीना तिवारी को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए दूसरा विवाह कर लिया था। जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कटराबाजार पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

लड़की को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने का आरोपी अभियुक्त

गिरफ्तार-

गोण्डा । बुधवार जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त शुभम उर्फ अखिलेश पुत्र रामकेवल पाण्डेय नि० जानकीनगर पोखरा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को थाना खरगूपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 177 / 20, धारा 363.506.328.376डी भादवि० व 7 / 8 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त थाना खरगूपुर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था । जिसके संबंध में लड़की के पिता द्वारा थाना खरगूपुर में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें खरगूपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर महाराजगंज बाजार के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।